इलेक्शन टुडे

दिनांक - 29 अक्टूबर 2018 अंक – 21

विधानसभा आम चुनाव -2018

मुख्य निवार्चन पदाधिकारी की राजनैतिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न

भोपाल : सोमवार, 29 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक में बताया कि 2 नवम्बर से 9 नवम्बर 2018 तक नाम निर्देशन पत्र प्रात: 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। रविवार 4 नवम्बर एवं 7 नवम्बर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 4 सेट नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 वाहन और अधिकतम पाँच व्यक्तियों (1 + 4) को लाने की अनुमति रहेगी।

विधान सभा निर्वाचन में प्रत्याशियों के लिये रूपये 10,000 (दस हजार) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए रूपये 5,000 (पांच हजार) जमानत राशि जमा कराना होगी। फार्म ए. फार्म बी. नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाने के अंतिम दिनांक को 3.00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 25 सितम्बर 2018 के आदेशानुसार शपथ पत्र देना होगा, जिसमें अभ्यर्थियों को स्वयं पर चल रहे आपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्धि के प्रकरणों की घोषणा एवं प्रकाशन कराये जाने के संबंध में प्रारूप सी1,सी2, एवं सी3 प्रदाय किया जायेगा।

निर्वाचन व्यय के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पृथक से बैंक खाता खुलवाया जाएगा। बैंक खाता निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से भी खुलवाया जा सकता है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के तुरंत बाद रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना आवश्यक हैं। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा तैयार किये जाने वाले चेकलिस्ट के प्रारूप और दिशा-निर्देशों की पुस्तिका प्रदाय की जायेगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय, अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्तावक और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत एक और व्यक्ति उपस्थित रह सकता है। रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा एक-एक करके नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा पारदर्शिता हेतु संवीक्षा की वीडियाग्राफी भी की जाएगी।

नामांकन पत्रों की अस्वीकृति की जा सकती है, यदि अभ्यर्थी संबंधित विधायिका का सदस्य बनने के लिए विधि में स्पष्ट रूप से अर्हित नहीं है या अभ्यर्थी ऐसा सदस्य बनने के लिए विधि में स्पष्ट रूप से अनर्हित है। अनर्हित की सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को दी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा विहित शपथ पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर, नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी या अपेक्षित संख्या के प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षर नही किए जाने पर, समुचित निक्षेप राशि जमा न किये जाने पर, अभ्यर्थी द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान नही लिए जाने पर, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का नहीं है और उसके द्वारा आरक्षित सीट पर लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया गया है, अभ्यर्थी उस निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जिसके लिए उसने नामांकन पत्र दाखिल किया है तथा उसने जिस निर्वाचन क्षेत्र में वह रजिस्टर्ड है, उस निर्वाचक नामावली या उसके सुसंगत भाग की सत्यापित प्रति नामांकन पत्र के साथ दाखिल

नहीं की है और फार्म 26 शपथ पत्र के बिन्दुओं को खाली छोड़ दिये जाने पर नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता हैं।

रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा तत्संबंध में अभ्यर्थी को चेक लिस्ट के माध्यम से नामांकन पत्रों की अस्वीकृति के सम्बन्ध में बताया जायेगा।

==========

विधानसभा आम चुनाव -2018

विधानसभा चुनाव में निगरानी के लिये 360 प्रेक्षक नियुक्त

भोपाल : सोमवार, 29 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2018 के लिये भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। राज्य में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और आदर्श आचरण संहिता के साथ चुनाव कराने के लिये 360 प्रेक्षकों को तैनात किया गया है। इनमें सामान्य प्रेक्षक 198, पुलिस प्रेक्षक 35 और निर्वाचन व्यय प्रेक्षक के रूप में 127 अधिकारियों को नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त तीन अभिगम्य प्रेक्षक भी आयोग द्वारा तैनात किये गये है।

नाम निर्देशन के अंतिम दिन 9 नवम्बर के पूर्व सभी प्रेक्षक उन्हें आवंटित विधान सभाओं में पहुँच जायेंगे। सभी प्रेक्षकों को स्थानीय सम्पर्क नम्बर उपलब्ध कराये जायेगें। जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को प्रेक्षकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जायेंगी।

==========

विधानसभा आम चुनाव -2018

सेक्टर ऑफीसर को बनाया गया विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी

भोपाल : सोमवार, 29 अक्टूबर, 2018। विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2018 के लिये 51 जिलों में 8795 सेक्टर आफीसर को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

==========

संभागायुक्तों के साथ स्वीप गतिविधियों की समीक्षा बैठक आज

भोपाल : सोमवार, 29 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल.कान्ता राव मंगलवार 30 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे से होटल लेकव्यू अशोका में संभागायुक्तों के साथ विधान सभा चुनाव के संबंध में स्वीप गतिविधियों की समीक्षा करेंगे।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विकास नरवाल ने बताया है कि राज्य में संभाग स्तर पर स्वीप गतिविधियों की नियमित समीक्षा एवं नगरीय क्षेत्रों में स्वीप के सघन अभियान के लिये नगर निगम आयुक्त, संभाग स्तरीय स्वीप के नोडल अधिकारी और सोशल मीडिया के नोडल अधिकारियों को भी बुलाया गया है।

==========

विधानसभा आम चुनाव -2018

वीडियो कॉन्फ्रेंस से विधानसभा निर्वाचन 2018 की कार्यवाहियों की समीक्षा आज

भोपाल : सोमवार, 29 अक्टूबर, 2018। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संदीप यादव और श्री लोकेश जाटव विधानसभा निर्वाचन 2018 के संबंध में जिलों में की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा 30 अक्टूबर को प्रात: 11:30 बजे से वीडिया कान्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे।

वीडियो कांफ्रेंस में जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचन पर्यवेक्षक उपस्थित रहेंगे। वीडियो काफ्रेंस में फोटो इलेक्ट्रोल रोल, निर्वाचन संचालन, स्वीप गतिविधियां और सूचना प्रोद्योगिकी के बारे में समीक्षा की जाएगी।

==========

सम्पत्ति विरूपण के 14 लाख 63 हजार से अधिक प्रकरण पंजीबद्ध

भोपाल : सोमवार, 29 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद 6 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2018 तक प्रदेश में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत 22 हजार 332 गैर जमानती वारंट तामील करवाये गये हैं। साथ ही 2 हजार 34 अवैध हथियार जब्त किये गये हैं और 2 लाख 38 हजार 562 शस्त्र थानों में जमा कराये गये हैं। प्रदेश में 56 हजार 215 व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

सम्पत्ति विरूपण के अन्तर्गत 14 लाख 63 हजार 263 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं, जिनमें से 14 लाख 13 हजार 775 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी है। शासकीय सम्पत्ति विरूपण में 11 लाख 48 हजार 513 प्रकरण पंजीबद्ध कर 11 लाख 17 हजार 472 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। निजी सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत 3 लाख 14 हजार 750 प्रकरण पंजीबद्ध कर 2 लाख 96 हजार 303 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। इसी दौरान वाहनों के दुरूपयोग पर 8 हजार 277 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

==========